रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2018/श्रावण 18, 1940
No. 3157] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2018/SHRAVANA 18, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2018

का.आ. 3952(अ).— केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का. आ. 3523(अ), दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम – 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की है।

2. दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने अब उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया है:-

(क) पैरा 1 (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:
"नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर, वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु।"

(ख) पैरा 1 (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"चीनी मिलों के साथ सम्बद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की क्षमता के विस्तार सहित चीनी मिलों के साथ संबद्ध नई डिस्टीलरियों की स्थापना करके इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु।"

(ग) पैरा 2 (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"चीनी मिलों के साथ सम्बद्ध मौजूदा डिस्टिलरियां नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर, वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता के लिए पात्र हैं।"

(घ) पैरा 2 (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"सभी चीनी मिलें, चीनी मिल के साथ सम्बद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की क्षमता के विस्तार सहित नई डिस्टीलरियों की स्थापना के लिए सहायता हेतु पात्र हैं।"

(ङ) पैरा 2 (ii) के बाद पैरा 2 (iii) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

"उन चीनी मिलों को सहायता उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होंने इसी परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन लाभ उठाया है।"

(च) पैरा 3 (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"उपर्युक्त 2 (i) और 2 (ii) के संबंध में इस स्कीम के अंतर्गत ब्याज छूट, प्रस्तावित क्षमता के आधार पर प्रत्येक योजना के संबंध में ऋण की स्वीकृत और संवितरित राशि पर प्रदान की जाएगी।"

(छ) पैरा 3 (iii) का लोप किया जाएगा।

(ज) पैरा 4 में निम्नलिखित को रखा जाएगा:-

"जो चीनी मिलें नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर अपनी डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करने अथवा मौजूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता के विस्तार सहित नया डिस्टिलरी संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक हैं, उनके लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-1)** में इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख अर्थात 19 जुलाई, 2018 से 30 दिन के भीतर मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित पैरामीटरों को ध्यान में रखकर आवेदनों की जांच करेगा:

क) पैट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडेड (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इथेनोल की आपूर्ति का कार्य-निष्पादन।

ख) किसानों को देय गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में ट्रैक रिकार्ड।

ग) शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित पी-2 (प्रपत्र-2) में समय से मासिक ऑनलाईन रिटर्न दाखिल करना।

घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 06.06.2018 के बाद जारी निदेशों/आदेशों का अनुपालन।

ङ.) परियोजना के लिए शीरे की उपलब्धता।

च) चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि/लेवी की देय राशि की स्थिति आदि।"

(i) पैरा 7 में निम्नलिखित को रखा जाएगा:-

"चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि इस प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित विधि के माध्यम से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना अथवा मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और इसकी स्थापना कर दी गई है अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार पूर्ण कर लिया गया है और इथेनोल का उत्पादन बढ़ाकर शुरू कर दिया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।"

अनुबंध-1

मौजूदा डिस्टिलरी में नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने या ईथनोल उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना करने अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए चीनी कारखाने से प्राप्त आवेदन

क. चीनी कारखाने का संक्षिप्त विवरण

1	चीनी कारखाने / उपक्रम / सोसाईटी / कंपनी का नाम	
2	कारखाने का संक्षिप्त नाम और प्लांट कोड	
3	कारखाने की स्थापित पेराई क्षमता	
4	चीनी कारखाने में चीनी उत्पादन शुरू होने की तिथि	
5	चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी, यदि कोई हो, की उत्पादन क्षमता	
6	क्या उपक्रम का कोई अन्य चीनी कारखाना है (अन्य समूह कारखानों का संक्षिप्त नाम और क्षमता बताएं)	
7	पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत वर्तमान और पिछले दो इथेनॉल वर्षों के दौरान इथेनॉल आपूर्ति का निष्पादन:	
	(i) ओएमसी द्वारा मांग की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
	(ii) मांग की गई मात्रा के प्रति आपूर्ति की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
8	गन्ना मूल्य भुगतान का निष्पादन:	
	(i) 2017-18 चीनी मौसम के दौरान गन्ने की खरीद के लिए देय कुल गन्ना मूल्य। (ii) 2017-18 चीनी मौसम में खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया गया कुल गन्ना मूल्य। (iii) 2017-18 चीनी मौसम और इससे पहले के मौसमों के लिए लंबित गन्ना बकाया, यदि कोई हो (कृपया बकाया राशि मौसम-वार दर्शाएं)	
9	क्या मासिक प्रोफार्मा पी-2 ऑनलाइन दर्ज किया गया है (यदि हां, तो किस महीने तक)	
10	क्या 06.06.2018 को या उसके बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/आदेशों का पालन किया गया है।	
11	चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि की बकाया राशि की स्थिति, यदि कोई हो।	

ख. किसी डिस्टिलरी में इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने के लिए चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी से संबंधित सूचना

(i)	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर की क्षमता/जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अपनाने हेतु प्रस्तावित किसी अन्य विधि का ब्यौरा।	
(ii)	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर का वर्किंग प्रेशर।	
(iii)	क्या सीपीसीबी की अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हां, तो मौजूदा डिस्टिलरी के लिए एक वर्ष में प्रचालन दिनों की संख्या।	
(iv)	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना (शुल्क, अधिभार और स्थापना लागत आदि सहित)। कृपया मद-वार ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
(v)	उधार देने वाले बैंक का नाम।	
(vi)	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
(vii)	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना।	
(viii)	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल का अतिरिक्त उत्पादन/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना।	
(ix)	समूह कंपनी की मौजूदा चीनी मिलों में शीरे का उत्पादन (कृपया इकाई-वार बताएं)	
(x)	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय सीमा/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना।	
(xi)	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना।	
(xii)	क्या प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने के लिए उपकरण स्वदेशी स्रोत से खरीदे गए हैं (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

ग. मौजूदा चीनी मिल के साथ नई डिस्टिलरी की स्थापना/ मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार से संबंधित जानकारी

(i)	केएलपीडी में प्रस्तावित डिस्टिलरी की क्षमता (नई/विस्तार)	
(ii)	क्या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ नई डिस्टिलरीकी स्थापना / मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार का प्रस्ताव है।	
(iii)	मूल कीमत तथा लागू करों आदि सहित नई डिस्टिलरी/ मौजूदा	

	डिस्टिलरी के विस्तार की परियोजना हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता।	
(iv)	उधार देने वाले बैंक का नाम।	
(v)	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
(vi)	नई डिस्टिलरी/ मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन।	
(vii)	चीनी मिल में शीरे का उत्पादन, जहां प्रस्तावित डिस्टिलरी स्थापित की जानी है/विस्तार किया गया है (यदि समूह कंपनी है, तो कृपया इकाई-वार ब्यौरा दें)	
(viii)	नए संयंत्र की स्थापना/मौजूदा संयंत्र के विस्तार हेतु प्रस्तावित समय सीमा।	
(ix)	इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	
(x)	क्या प्रस्तावित नई डिस्टिलरी/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनरी स्वदेशी स्रोत से खरीदी गई है (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

[फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-1]

जी.एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2018

S.O. 3952(E).— Whereas the Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, specially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, has notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O.3523(E), dated 19.7.2018.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.7.2018, central government has decided to make following changes in the said notification:-

(a) Para 1 (i) would be substituted by the following:

"For increasing ethanol production by enhancing the number of working days of existing distilleries in a year by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) for Zero Liquid Discharge (ZLD) in a distillery."

(b) Para 1 (ii) would be substituted by the following:

"For augmentation of ethanol production capacity by setting up of new distilleries attached with their sugar mills including expansion of the capacity of the existing distilleries attached with sugar mills."

(c) Para 2 (i) would be substituted by the following:

"Existing distilleries attached with the sugar mills are eligible for assistance for increasing ethanol production by enhancing the number of working days in a year by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) for Zero Liquid Discharge (ZLD) in a distillery."

(d) Para 2 (ii) would be substituted by the following:

"All the sugar mills are eligible for assistance to set up new distilleries including expansion of the capacity of the existing distilleries attached with sugar mills."

(e) A new Para 2(iii) is added after para 2(ii) as under:-

"Assistance shall not be available to sugar mills which have availed benefits under any other scheme of Central Government for the same project."

(f) Para 3 (ii) would be substituted by the following:

"Interest subvention under the scheme in respect of 2(i) and 2 (ii) above shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity."

(g) Para 3(iii) is deleted.

(h) Para 4 would be substituted by the following:

"The sugar mills which desire to achieve Zero Liquid Discharge in their distillery by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) or to set up new distillery plant including expansion of the production capacity of the existing plant, would be required to submit an application-cum proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Chief Director (sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of notification of the scheme i.e. 19th July, 2018. DFPD will scrutinize the application on the following parameters:

a) Performance of ethanol supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme.

b) Track record regarding payment of cane price dues of farmers.

c) Timely filing of monthly on-line return in P-II (Proforma-II) as prescribed by the Directorate of Sugar and Vegetable Oils.

d) Compliance of various Directives / Orders issued by DFPD after 06.06.2018.

e) Availability of molasses for the project.

f) Status of SDF/ LSPEF/ Levy dues, etc."

(i) Para 7 would be substituted by the following:

"The concerned distilleries attached with sugar mills shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Sugar mills availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government."

ANNEXURE-I

APPLICATION FROM THE SUGAR FACTORY FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR INSTALLATION OF NEW INCINERATION BOILER OR ADOPTION OF ANY OTHER METHOD APPROVED BY CPCB FOR ZERO LIQUID DISCHARGE IN THE EXISTING DISTILLERY OR SETTING UP OF NEW DISTILLERY OR EXPANSION OF EXISTING DISTILLERY FOR ETHANOL PRODUCTION.

A. Brief details of the sugar factory

1	Name of the sugar factory/undertaking /society/company	
2	Short name & plant code of the factory	
3	Installed crushing capacity of the factory	
4	Date of commencement of sugar production in the sugar factory	
5	Production capacity of the existing distillery attached with sugar mill, if any	
6	Does the undertaking has any other sugar factory (indicate short name and capacity of other group factories)	
7	Performance of ethanol supply during current and last two ethanol years under Ethanol Blended with Petrol Programme (EBP):	
	(iii) Quantity of ethanol indented by OMCs (year-wise)	
	(iv) Quantity of ethanol supplied against indented quantity (year-wise).	
8	Performance of cane price payment :	
	(i) Total cane price payable against purchase of cane during 2017-18 SS. (ii) Total cane price paid against cane purchased in 2017-18 SS. (iii) Pending cane arrears for 2017-18 SS and earlier seasons, if any (Please indicate arrear amount season-wise)	
9	Whether monthly Proforma P-II filed online (If yes, upto which month)	
10	Whether directives/orders issued by DFPD on or after 06.06.2018 have been complied	
11	Status of SDF/LSPEF outstanding dues, if any.	

B. Information relating to existing distillery attached with the sugar mill for installation of incineration boiler or adoption of any other method approved by CPCB for ZLD in a distillery.

(i)	Capacity of the proposed incineration boiler / details of any other method proposed for adoption as approved by CPCB for ZLD.	
(ii)	Working pressure of the proposed incineration boiler.	
(iii)	Whether permission of CPCB has been obtained, if yes, number of operating days in a year for existing distillery.	
(iv)	Financial assistance requested for installation of incineration boiler / adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD. (including duties, surcharge & erection cost etc). Please indicate item-wise breakup.	
(v)	Name of the lending bank.	
(vi)	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	

(vii)	Proposed days of operation after installation of incineration boiler / adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
(viii)	Additional production of ethanol after installation of new incineration boiler / adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
(ix)	Production of molasses in the existing sugar mills of the group company (Please indicate unit-wise)	
(x)	Proposed time line for installation of new incineration boiler / adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
(xi)	Expected date of commencement of ethanol production after installation of incineration boiler / adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
(xii)	Whether proposed incineration boiler / equipments for adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD are procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	

C. Information relating to setting-up of new distillery / expansion of existing distillery with the existing sugar mill

(i)	Capacity of the proposed distillery in KLPD (new/expansion)	
(ii)	Whether the new distillery / expansion of the existing distillery is proposed to be installed with zero liquid discharge system.	
(iii)	Financial assistance requested for new distillery / expansion of the existing distillery project including basic price and applicable taxes etc.	
(iv)	Name of the lending bank.	
(v)	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	
(vi)	Proposed days of operation on setting up of new distillery / expansion of the existing distillery.	
(vii)	Production of molasses in the sugar mill where proposed distillery is to be set up / expanded (If group company, please indicate unit-wise)	
(viii)	Proposed time line for installation of new plant / expansion of existing plant.	
(ix)	Expected date of commencement of ethanol production.	
(x)	Whether proposed new distillery / plants and machineries for expansion of the existing distillery are procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	

[F. No. 1(10)/2018-SP-1]
G.S. SAHU, Director (Sugar Policy)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.14 21:50:23 +05'30'